प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 12.06.2025

ग्राम नाहल थाना क्षेत्र मसूरी में विगत दिनों हुई घटना में उच्च अधिकारीयों द्वारा की गई गठित टीम एवं थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा वांछित अपराधी से हुई मुठभेड़ के दौरान 01 बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल/गिरफ्तार तथा गिरफ्तार अभियुक्त से अवैध शस्त्र ,खोखा व जिंदा कारतूस तथा बाइक बरामद

आज दिनांक 12/06/25 को ग्राम नाहल थाना क्षेत्र मसूरी में हुए सिपाही सौरभ हत्याकांड में वांछित चल रहे अभियुक्तों धरपकड़ के लिए कई टीमों का गठन उच्च अधिकारियों के द्वारा किया गया था कि मुखबिर की सूचना पर थाना मसूरी से वांछित अपराधी साजिद डासना की ओर से काजीपुरा की तरफ आने वाला है। तत्पश्चात मुखबिर की सूचना पर इंस्पेक्टर अनिल राजपूत मय टीम थाना क्षेत्र वेव सिटी पहुँचे तथा थानाध्यक्ष वेव सिटी मय टीम के संयुक्त रूप से डासना काजीपुरा मार्ग पर संदिग्ध व्यक्ति व वाहन की सघन चेकिंग करने लगे, तभी एक व्यक्ति बाइक सवार को रूकने का इशारा किया तो इस व्यक्ति द्वारा रुकने की बजाय अपनी बाइक को तेजी से कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ लिया गया आगे रास्ता उबड़-खाबड़ होने की बजह से इसकी बाइक फिसलकर गिर गई तभी पुलिस टीम से घिरता देख जान से मारने की नियत से भागते हुए पुलिस टीम पर फायर किया तो पुलिस टीम ने आत्मरक्षार्थ हेतु जवाबी कार्रवाई की तो इस अभियुक्त साजिद के बाएं पैर में गोली लगी | अभियुक्त साजिद को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया | घायल अभियुक्त को तत्काल सीएचसी डासना गाजियाबाद उपचार हेतु भेजा गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, 01खोखा कारतूस व 01 बाइक लाल रंग की जिक्सर बरामद हुई है| अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता

साजिद पुत्र शाहिद निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी जिला गाजियाबाद उम्र 28 वर्ष

अभियुक्त से बरामदगी

एक तमंचा 315 बोर, 01 खोखा कारतूस व 01 जिंदा कारतूस 315 बोर व 01 बाइक लाल रंग की जिक्सर

गिरफ्तार करने वाली टीम

गठित टीम व थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी करने वाले 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। अभियुक्तों की निशानदेही पर एनसीआर क्षेत्र के भिन्न- भिन्न स्थानों से चोरी किये गये 10 मोटर साइकिल व 01 स्कूटी (कुल 11 वाहन) व घटना मे प्रयुक्त 04 स्मार्ट चाबियां बरामद ।

दिनांक 11.06.2025 को थाना इन्दिरापुरम पुलिस टीम द्वारा रात्री गश्त / चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहन चोरी करने वाले 05 शातिर अभियुक्त 1. रोहित पुत्र कल्लू निवासी ग्राम सूजरा थाना बागपत कोतवाली जनपद बागपत हाल पता निकट शिव मंदिर के पास सैक्टर 63 नोएडा उम्र करीब 20 वर्ष, 2. सागर शर्मा पुत्र हेमन्त शर्मा निवासी गली नं0 02 छिजारसी सैक्टर 63 नोएडा मूल निवासी ग्राम मोहाना जनपद भिंड म0प्र0 उम्र करीब 20 वर्ष, 3.आशु पुत्र मुकेश निवासी गली नं0 2 सफेद मंदिर के पास छिजारसी कॉलोनी थाना सैक्टर 63 नोएडा मूल निवासी ग्राम सैदपुर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष, 4. आकाश उर्फ कल्लू पुत्र पवन शर्मा निवासी गली नं0 2 सफेद मंदिर के पास छिजारसी कॉलोनी थाना सैक्टर 63 नोएडा मूल निवासी ग्राम वाधी थाना बागपत कोतवाली जनपद बागपत उम्र करीब 20 वर्ष, 5. नीरज पुत्र चन्द्रकिरन निवासी कचहरी के पास मोहनपुरी थाना सिविल लाईन मेरठ उम्र करीब 29 वर्ष को थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र के कनावनी पुलिया से शिवमंदिर की तरफ नाले के किनारे बंद पड़े रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों की निशानदेही पर एनसीआर क्षेत्र के भिन्न- भिन्न स्थानों से चोरी किये गये 10 मोटर साइकिल व 01 स्कूटी (कुल 11 वाहन) व घटना में प्रयुक्त 04 स्मार्ट चाबियां बरामद हुई। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध बीएनएस की धारा 317(2),317(5),3(5) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण- गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि सभी अभियुक्त आपस में मिलकर शिप्रा मॉल इन्दिरापुरम व एनसीआर क्षेत्र के भिन्न- भिन्न स्थानों से दो पहिया वाहनों की चोरी करते है तथा दो पहिया वाहन चोरी कर थाना इन्दिरापुरम क्षेत्र में कनावनी पुलिया से शिवमंदिर की तरफ नाले के किनारे बंद पर रास्ते पर झाडियों में छिपा देते हैं। अभियुक्त नीरज चोरी किये गये वाहनों की निगरानी करता है। अभियुक्त आपस में मिलकर राहे चलते व्यक्ति को अपनी मजबूरी बताकर मोटर साइकिल सस्ते दामों में बेच देते हैं और जो रुपये मिलते हैं आपस में बांट लेते हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पताः-

1. रोहित पुत्र कल्लू निवासी ग्राम सूजरा थाना बागपत कोतवाली जनपद बागपत हाल पता निकट शिव मंदिर के पास सैक्टर 63 नोएडा उम्र करीब 20 वर्ष।
2. सागर शर्मा पुत्र हेमन्त शर्मा निवासी गली नं0 02 छिजारसी सैक्टर 63 नोएडा मूल निवासी ग्राम मोहाना जनपद भिंड म0प्र0 उम्र करीब 20 वर्ष।
3. आशु पुत्र मुकेश निवासी गली नं0 2 सफेद मंदिर के पास छिजारसी कॉलोनी थाना सैक्टर 63 नोएडा मूल निवासी ग्राम सैदपुर थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 24 वर्ष।
4. आकाश उर्फ कल्लू पुत्र पवन शर्मा निवासी गली नं0 2 सफेद मंदिर के पास छिजारसी कॉलोनी थाना सैक्टर 63 नोएडा मूल निवासी ग्राम वाधी थाना बागपत कोतवाली जनपद बागपत उम्र करीब 20 वर्ष।
5. नीरज पुत्र चन्द्रकिरन निवासी कचहरी के पास मोहनपुरी थाना सिविल लाईन मेरठ उम्र करीब 29 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- अभियुक्तों की निशानदेही पर एनसीआर क्षेत्र के भिन्न- भिन्न स्थानों से चोरी किये गये 10 मोटर साइकिल व 01 स्कूटी (कुल 11 वाहन) व घटना मे प्रयुक्त 04 स्मार्ट चाबियां बरामद।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उपरोक्त-

उपरोक्त अभियुक्तों के विरूद्ध चोरी से सम्बन्धित 07 अभियोग कमिश्नरेट गाजियाबाद में 01 अभियोग कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व 01 अभियोग दिल्ली में पंजीकृत है तथा अभियुक्त नीरज पर आयुद्ध अभिनियम का 01 अभियोग जनपद बागपत में पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

थाना इंदिरापुरम पुलिस टीम

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा पूर्व में बेहटा नहर के पास एक सूटकेस में अज्ञात महिला का शव मिलने की घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल बरामद ।

दिनांक 10.06.2025 की सुबह को थाना लोनी बॉर्डर क्षेत्र में बेहटा नहर के पास एक हरे रंग के सूटकेस में अज्ञात महिला के शव मिलने के सम्बन्ध में थाना लोनी बोर्डर पर वादी द्वारा एक किता तहरीर दी गयी। तहरीर के आधार पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना लोनी बोर्डर पर मु0अ0सं0 370/25 धारा 103(1)/238 बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा उक्त घटना के सफल अनावरण हेतु टीमों का गठन किया गया एवं अज्ञात शव की शिनाख्त हेतु दिल्ली के सीमावर्ती थानों एवं आस-पास के थानों में गश्ती तलाश जारी कर शिनाख्त का प्रयास किया गया एवं डीसीआरबी एवं सोशल मीडिया के माध्यम से शिनाख्त हेतु प्रयास किये गये। गठित टीमों द्वारा स्थानीय सीसीटीवी कैमरों, मैनुअल इनपुट व अन्य सम्भावित सोर्सों की मदद ली गयी। आज दिनांक 12.06.25 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस को सफलता हाथ लगी एवं उक्त अज्ञात घटना का सफल अनावरण कर अज्ञात महिला की शिनाख्त श्रीमती कविता पत्नी सागर नि0 शिव विहार गली न0 3 अम्बिका विहार थाना करावल नगर दिल्ली उम्र करीब 25 वर्ष के रुप में हुई एवं उक्त महिला की हत्या कारित करने वाले 03 अभि0 1. हरवीर सिंह पुत्र सेठराम नि0 शिव विहार गली न0 3 अम्बिका विहार थाना करावल नगर दिल्ली 94 उम्र करीब 52 वर्ष 2. सुमित पुत्र हरवीर सिंह नि0 उपरोक्त उम्र करीब 22 वर्ष 3.गुड्डू पुत्र हरवीर सिंह नि0 उपरोक्त उम्र 18 वर्ष को आज दिनांक 12.06.25 को गिरफ्तार किया गया। पूर्व में फील्ड यूनिट द्वारा हरे रंग का सूटकेस व चुनरी आदि सील सर्वमुहर किये जा चुके हैं। घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल स्प्लैण्डर UP14DQ2949 बरामद हुई है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त सुमित ने पूछताछ के दौरान बताया कि अपने पिता हरवीर सिंह, माँ विमलेश देवी, भाई सागर, गुड्डू व बहन शिवानी तथा भाभी कविता व भतीजी आइसनी उम्र करीब डेढ वर्ष के साथ किराये पर पिछले करीब 02 साल से गली नं0 03, अम्बिका विहार थाना करावल नगर दिल्ली में रहता हूँ। 7 तारीख की रात को मेरी बहन शिवानी और भाभी कविता का घरेलू बातों को लेकर घर में झगडा हुआ था 9 तारीख की शाम करीब 04.00 बजे भतीजी आइसनी को कविता भाभी पीट रही थी, तब मेरा इसी बात पर भाभी कविता से भी झगडा हो गया तब मैने भाभी कविता की गर्दन पकड कर बैड पर पटक दिया था जब वह गिर गयी तब मैने दोनो हाथों से उसकी गर्दन चुन्नी से दबा दी थी और जिस बैडशीट से सूटकेस बांधा था उसी बैडशीट को मृतका के मुंह पर रखकर दम घोंट दिया था और पापा ने आकर भाभी के पैर पकड कर दबा लिये थे, जब भाभी हिलना बन्द हो गयी तब मैने उनकी गर्दन छोडी थी भाभी कविता मर गयी थी, फिर मैने अपने छोटे भाई गुड्डु को घर बुलाया एवं फिर हमने भाभी कविता के शव को घर में रखे ट्रॉली (सूटकेस) हरे रंग के बैग में रखा तथा बैग की चैन लगायी तो बैग की आधी चैन लगी थी फिर बैग को गुलाबी पिन्नी में लपेटकर ऊपर से दो चादरों से लपेटकर बैग चुन्नी से बांध लिया था। फिर उसी रात करीब 02.30 बजे के आस- पास भाभी कविता के शव को जो सूटकेस के अंदर रखा था उसे मोटर साईकिल स्प्लैण्डर UP14DQ2949 पर रखकर पापा और गुड्डू ले गये और कहा कि हम इसे ठिकाने लगाने जा रहे है। उसके बाद भाई गुड्डु व पिता जी करीब 04.00 बजे के आस- पास घर वापस आये और बताया कि बेहटा नहर की पटरी पर जाते समय एक बिजली के खम्बों के पास बैग गिर गया था जिसे हम वहीं छोडकर वापस भाग आये। भाई सागर को और माँ को हमने कोई बात नहीं बताई थी सागर ने पूछा तो हमने कह दिया कि भाभी कविता शाम को झगडा करके अपने घर चली गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. हरवीर सिंह पुत्र सेठराम नि0 शिव विहार गली न0 3 अम्बिका विहार थाना करावल नगर दिल्ली 94 उम्र करीब 52 वर्ष (मृतका का ससुर)

2. सुमित पुत्र हरवीर सिंह नि0 उपरोक्त उम्र करीब 22 वर्ष (मृतका का देवर)

3.गुड्डू पुत्र हरवीर सिंह नि0 उपरोक्त उम्र 18 वर्ष (मृतका का देवर)

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है।

बरामदगी का विवरण-

घटना में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाईकिल स्पलेण्डर नं0 UP14DQ2949 ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 11.06.2025 को थाना लोनी पर वादिया द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्त सरवन पुत्र सूरज निवासी CN35 जेजे कालोनी आनंद विहार नियर विवेकानंद स्कूल के पास द्वारा वादिया की पुत्री के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने तथा वादिया की पुत्री को परेशान करने जिससे परेशान होकर वादिया की पुत्री कोमल उम्र 19 वर्ष द्वारा दिनांक 07.06.2025 को फाँसी लगाकर आत्महत्या कर लेना जिसके संबंध में थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओ में मु0अ0सं0 279/2025 धारा 108 बीएनएस पंजीकृत किया गया व अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित की गयी । तत्पश्चात आज दिनांक 12.06.2025 को थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते उपरोक्त अभियोग में नामित अभियुक्त सरवन पुत्र सूरज निवासी CN35 जेजे कालोनी आनंद विहार नियर विवेकानंद स्कूल के पास दिल्ली उम्र करीब 27 वर्ष को चेकिग के दौरान बंथला फ्लाई ओवर के पास से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः- अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि साहब मैं और कोमल करीब 7-8 महीने से लिविंग रिलेशनशिप में रहते थे, कुछ दिन बाद वह मुझ पर शादी करने का दवाब बनाने लगी तो मैंने शादी करने से मना कर दिया, इसी बात को लेकर कोमल ने आत्महत्या कर ली है । मुझे पता चला कि कोमल के परिवारजनों ने मेरे विरुद्ध थाने पर मुकदमा पंजीकृत करा दिया है, इसी कारण में पुलिस से छिपते -छिपाते कहीं जाने की फिराक में था कि आपने पकड लिया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

सरवन पुत्र सूरज निवासी CN35 जेजे कालोनी आनंद विहार नियर विवेकानंद स्कूल के पास दिल्ली उम्र 27 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

थाना लोनी पर अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा वादी के मकान से सोने के आभूषण व रूपये चोरी कर लेने वाली शातिर चोर अभियुक्ता 01 पीली धातु अंगुठी जिसमें ऊपर की तरफ सफेद चमकीली धातु व 04 पीली धातु कान के टोप्स/कुण्डल व 06 सफेद पीली धातु की नोज पिन जिसमें एक नोज पिन पर सफेद चमकीली धातु लगी सहित गिरफ्तार।

थाना वेव सिटी पर दिनांक 11.06.2025 को वादी के प्रार्थना पत्र पर अज्ञात चोर द्वारा वादी के मकान से सोने के आभूषण व रूपये चोरी कर लेने के सम्बन्ध में मु0अ0स0 163/25 धारा 305(a) बीएनएस पंजीकृत किया गया तथा घटना में संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु त्वरित पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात थाना वेवसिटी पुलिस टीम द्वारा त्वरित सीसीटीवी फुटेज एवं मैनुअल इनपुट के आधार पर उपरोक्त चोरी करने वाली अभियुक्ता काजल पत्नी सौरव निवासी ग्राम इकला थाना वेव सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष को चोरी किये गये 01 पीली धातु अंगुठी जिसमें ऊपर की तरफ सफेद चमकीली धातु व 04 पीली धातु कान

के टोप्स/कुण्डल व 06 सफेद पीली धातु की नोज पिन जिसमें एक नोज पिन पर सफेद चमकीली धातु लगी सहित गिरफ्तार किया गया तथा चूंकि अभियुक्ता वादी के घर में मेड थी तथा माल बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 305(a) BNS का लोप कर धारा 306/317(2) BNS की वृद्धि की गयी। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

पूछताछ के दौरान अभियुक्ता काजल उपरोक्त द्वारा बताया गया कि जिनके घर से मैने चोरी की है और जिन्होनें मेरे खिलाफ मुकदमा लिखाया है । मैं इनके घर में मेड का काम करती हूँ मुझे रूपयों की बहुत जरूरत थी । मै कई दिनों से इनके घर में इनकी अलमारी के लोकर से कीमती सामान को चोरी करने की फिराक में थी । एक दिन मैने मेड का काम करते समय अलमारी खुली पाकर और मौका देखकर लोकर से ये सारा सामान व रूपये चोरी कर लिये थे और सारा सामान व रूपये अपने साथ लेकर चली गयी थी । उसी सामान में से एक नथिया को पैसो की जल्दी के लिए मैने राह चलते व्यक्ति को बेच दिया था जो पैसे मिले थे और जो रूपये मैने चोरी किये थे वो मैने उनको निजी खर्च में खर्च कर दिये और बाकी जो सामान आपको मुझे बरामद हुआ है यह सामान बच गया है इसको भी बेचने जा रही थी कि आपने पकड लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम/पता-

काजल पत्नी सौरव निवासी ग्राम इकला थाना वेव सिटी जनपद गाजियाबाद उम्र करीब 23 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

01 पीली धातु अंगुठी जिसमें ऊपर की तरफ सफेद चमकीली धातु व 04 पीली धातु कान के टोप्स/कुण्डल व 06 सफेद पीली धातु की नोज पिन जिसमें एक नोज पिन पर सफेद चमकीली धातु लगी बरामद ।

आपराधिक इतिहास–

अभियुक्ता के विरूद्ध थाना वेवसिटी पर 01 अभियोग चोरी का पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीमः-

थाना वेव सिटी पुलिस टीम ।